केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु.)/
Kendriya Vidyalaya Sangathan (HQ)
18संस्थागत क्षेत्र/18 Institutional Area,
शहीद जीत सिंह मार्ग/Shaheed Jeet Singh Marg,
नई दिल्ली/110016 – New Delhi -110016
दूरभाष/Telephone No.: 011-26858570
Email- budget.section@kvs.gov.in

एफ.110239/51/2026/बजट/केवीएस(मु.) दिनांक:- 12.05.2026

कार्यालय ज्ञापन

विषय : नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसरण में बाल शिक्षा भत्ता और छात्रावास सब्सिडी की प्रतिपूर्ति के संबंध में/Reimbursement of Children Education Allowance and Hostel Subsidy in accordance with New Education Policy 2020.

The office memorandum no. F.No. A-27012/01/2023-Pers.Policy(Allowance) issued by Govt. of India, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel & Training dated 14th March, 2024 is hereby circulated for information and necessary action particularly in respect of point no. 2 of the aforesaid OM dated 14 March, 2024 so that the issues in this respect raised from various stakeholders at different levels can be redressed.

(संजय कुमार)
उपायुक्त(वित्त)

वितरण :

1. उपायुक्त, के° वी° एस°, सभी क्षेत्रीय कार्यालय।
2. वित्त अधिकारी, के° वी° एस°, सभी क्षेत्रीय कार्यालय।
3. सभी अधिकारी / अनुभाग , के° वी° एस° (मु°)।
4. प्राचार्य , के° वी° काठमांडू , मास्को एवं तेहरान ।
5. महासचिव , सभी मान्य संघ ।
6. निदेशक , जीट ग्वालियर , मुंबई , मैसूर , चंडीगढ़ एवं भूबनेश्वर।
7. सहायक आयुक्त,(आई.टी प्रकोष्ठ), के वी एस (मु°) को के वी एस (मु°) की वैबसाइट के शीर्ष "सूचना पट(Announcements)" के अंतर्गत अपलोड करने हेतु प्रेषित ।
8. आर टी आई , के वी एस (मु°)।
9. गार्ड फ़ाइल

स.ए.-27012/01/2023-कार्मिक नीति (भत्ता)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

ब्लॉक-IV, पुराना जेएनयू परिसर, नई दिल्ली
दिनांक : 15 मार्च, 2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय : नई शिक्षा नीति **2020** के अनुसरण में बाल शिक्षा भत्ता और छात्रावास सब्सिडी की प्रतिपूर्ति।

भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 लागू की है। एनईपी 2020 को ध्यान में रखते हुए, दिनांक 17.07.2018 के का.ज्ञा.सं.ए-27012/02/2017-स्था.(ए.एल.) के पैरा 2(त) में निम्नलिखित संशोधन किया गया है:-

''सीईए और छात्रावास सब्सिडी कक्षा एक से पूर्व तीन कक्षाओं से 12वीं कक्षा तक (कक्षा की नामपद्धति पर विचार किए बिना) अध्ययन करने वाले बच्चों के संबंध में तथा पॉलीटेक्निक/आईटीआई/इंजीनियरिंग कॉलेज से किसी डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम के प्रारंभिक दो वर्षों, यदि बच्चा 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पश्चात पाठ्यक्रम करता है और 11वीं और 12वीं कक्षाओं में अध्ययन करने के लिए बच्चों के लिए सरकारी कर्मचारी को सीईए/छात्रावास सब्सिडी प्रदान नहीं की गई है, के लिए स्वीकार्य है।''

2. इसके अतिरिक्त, उन सरकारी कर्मचारियों को सीईए/छात्रावास सब्सिडी की प्रतिपूर्ति हेतु एकबारगी छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है जिनके बच्चों को नई शिक्षा नीति 2020 लागू किए जाने के कारण एक अतिरिक्त कक्षा फिर से करनी पड़ी।

3. यह कार्यालय ज्ञापन शैक्षणिक वर्ष 2023-24 से प्रभावी होगा।

4. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(जे.एस. कंठ)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

भारत सरकार के अधीन सभी मंत्रालय/विभाग

No. A-27012/01/2023-Pers. Policy(Allowance)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Personnel & Training

Block-IV, Old JNU Campus, New Delhi
Dated: 14th March, 2024

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Reimbursement of Children Education Allowance and Hostel Subsidy in accordance with New Education Policy 2020.

The Government of India has implemented the New Education Policy (NEP) 2020. Keeping in view the NEP 2020, the following modification have been carried out in the para 2(p) of O.M. No. A-27012/02/2017-Estt.(AL) dated 17-07-2018:-

"The CEA and Hostel Subsidy is admissible in respect of children studying from ***three classes before class one*** *to 12th standard (irrespective of nomenclature of class) and also for the initial two years of a diploma/certificate course from Polytechnic/ITI/Engineering College, if the child pursues the course after passing 10th standard and the Government servant has not been granted CEA/hostel subsidy in respect of the child for studies in 11th and 12th standards."*

2. Further, it has also been decided to grant one time relaxation for reimbursement of CEA/Hostel Subsidy to those Government employees whose children have to repeat one additional class due to implementation of New Education Policy 2020.

3. The OM shall come in to effect from the academic year 2023-24 onwards.

4. This issues with the approval of competent authority.

14/03/2024
(J S Kanth)
Under Secretary to the Government of India

To

All Ministries/Departments under Government of India